झारखण्ड सरकार
योजना एवं विकास विभाग
अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

योजना भवन, द्वितीय तल, झारखण्ड मंत्रालय,
नेपाल हाउस परिसर, डोरण्डा,रॉची – 834002
email-dsejharkhkand@gmail.com/Website-https://www.jharkhand.gov.in/des

''सर्वसाधारण के लिए जन्म एवं मृत्यु निबंधन के संदर्भ में आवश्यक सूचना''

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण, 1969 एवं झारखण्ड जन्म एवं मृत्यु निबंधन अधिनियम, 2009 के तहत जन्म एवं मृत्यु का निबंधन कराया जाना अनिवार्य है। जन्म एवं मृत्यु का निबंधन नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समिति में अधिकृत निबंधक के द्वारा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म एवं मृत्यु का निबंधन संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव, जो कि जन्म एवं मृत्यु के लिए निबंधक है, के द्वारा किया जाता है। बस, ट्रेन, हवाई जहाज, आदि में जन्म/मृत्यु होने पर जन्म एवं मृत्यु का निबंधन प्रथम विराम स्थान से संबंधित निबंधन इकाई के द्वारा कराए जाने का प्रावधान हैं।

- जन्म एवं मृत्यु का निबंधन हेतु आवेदन 21 दिनों के अन्दर कराया जाना चाहिए। 21 दिनों के अन्दर जन्म एवं मृत्यु का निबंधन कराए जाने पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए **किसी प्रकार का शुल्क आवेदक के द्वारा देय नहीं है। यह निःशुल्क है।**
- जन्म एवं मृत्यु के लिए भारत सरकार के द्वारा Uniform CRS Web Portal-crsorgi.gov.in अधिकृत है। आवेदक के द्वारा इसी वेबसाईट पर जन्म एवं मृत्यु के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
- Uniform CRS Web Portal- crsorgi.gov.in पर आवेदक द्वारा सर्वप्रथम Signup करने के उपरांत वेब पोर्टल पर ही ऑनलाईन सूचनाओं को अंकित कर सकते है एवं तत्संबंधी साक्ष्य/दस्तावेज अपलोड कर सकते है। तदोपरांत आवेदक acknowledgement sleep डाउनलोड कर सकते है।
- संबंधित निबंधक के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदक को निर्गत किया जाएगा। आवेदक Uniform CRS Web Portal-crsorgi.gov.in पर अपने निर्धारित User ID से login कर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।
- 21 दिनों के पश्चात् आवेदन ऑफलाईन दिए जाने का प्रावधान है एवं **इसमें 1.00 रू0 का शुल्क आवेदक को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु देय है।**

- विगत दिनों ऐसी सूचना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है कि Uniform CRS Web Portal- crsorgi.gov.in के अलावे एवं अधिकृत निबंधक के अतिरिक्त अन्य स्थलों से भी फर्जी वेबसाईट के माध्यम से आवेदक से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र हेतु अत्यधिक राशि की वसूली कर प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है। **ऐसे फर्जी वेबसाईट का उपयोग किया जाना आपराधिक एवं दण्डनीय कृत्य है। ऐसे फर्जी वेबसाईट से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आपराधिक एवं दण्डनीय कृत्य है।**
- अतः सर्वसाधारण से अपील है कि Uniform CRS Web Portal- crsorgi.gov.in से ही जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए विधिवत् आवेदन किया जाए एवं सक्षम निबंधक से ऑनलाईन जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
- जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करने में यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई हो तो आवेदक संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–अपर जिला निबंधक/जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी–सह–अपर जिला निबंधक/उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, जन्म एवं मृत्यु से सम्पर्क कर सकते है।
- राज्य स्तर पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में 8340470227 पर whatsapp द्वारा वैद्य शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

(अंजनी कुमार)
निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय,
रॉची।